कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

तृतीय तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक–नि0ख0 / लखनऊ / ई–निविदा / 2026–87 **दिनांक: 10/4/26**

ई–निविदा सूचना (ई–टेण्डर)

गड्ढामुक्तिकरण योजनान्तर्गत निम्नलिखित सम्पर्क मार्गो के मरम्मत कार्य हेतु ई–निविदा (E-Tendering) के माध्यम से मण्डी परिशद में वॉछित श्रेणी में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ फर्म / ठेकेदारों से दिनांक 07.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा https://etender.up.nic.in पर दिनांक 16.04.2026 की पूर्वाहन 11.00 बजे से दिनांक 07.05.2026 की अपरान्ह 3:00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 07.05.2026 को अपरान्ह 3.30 बजे खोली जायेंगी। तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप वित्तीय बिड खोली जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने हेतु निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश पड़ जाने की स्थिति में तकनीकी एवं वित्तीय बिड अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मण्डी का नाम	कार्य का नाम	निविदा शुल्क + (जी0एस0टी) (रू0)	अनुमानित लागत (रू0 लाख)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख)	अवधि	पंजीकरण श्रेणी
1	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 दुधवा से जमखानवा तक मरम्मत कार्य। (1.20 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135475_1	6400.00 + 1152.00 7552.00	42.60	4.13	06 माह	'स'
2	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 इटौंजा कुमरावॉ से परसैया से शीतल पुरवा तक मरम्मत कार्य। (1.60 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135478_1	7600.00 + 1368.00 8968.00	50.10	4.51	06 माह	'स'
3	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 रायथा रोड से ट्यूबवेल नं0 37 से हॉट ह्यू नं0 36 के पास तक मरम्मत कार्य। (3.10 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135479_1	10900.00 + 1962.00 12862.00	72.64	5.64	08 माह	'स'
4	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 माल रोड से माधवपुर मरपा नवरंगपुर तक मरम्मत कार्य। (1.00 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135480_1	3600.00 + 648.00 4248.00	23.43	2.35	06 माह	'द'
5	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 चन्द्रिका देवी रोड से कि0मी0–6 से ट्यूबवेल नम्बर 15 से चक्करपुर रैथा तक मरम्मत कार्य। (1.75 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135481_1	5800.00 + 1044.00 6844.00	38.52	3.85	06 माह	'द'
6	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 महोना अमानीगंज से अटेसुआ तक मरम्मत कार्य। (2.10 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135482_1	8000.00 + 1440.00 9440.00	53.09	4.66	06 माह	'स'
7	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 हबीबपुर बेलगाड़ा मार्ग पर जमालपुर मार्ग से हजीरा तक मरम्मत कार्य। (0.63 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135483_1	2300.00 + 414.00 2714.00	15.08	1.51	06 माह	'द'

8	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 हरिहर से सिधौरा मार्ग खर्जा की से ईशापुर पुलिया तक मरम्मत कार्य। (1.10 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135484_1	3200.00 + 576.00 3776.00	21.03	2.11	06 माह	'द'
9	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 हरिहर दिलावर मार्ग से पंचायत भवन तक मरम्मत कार्य। (0.70 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135485_1	2000.00 + 360.00 2360.00	12.87	1.29	06 माह	'द'
10	लखनऊ	लखनऊ	सं0मा0 भदेसुर मऊ से सिंधरवा तक मरम्मत कार्य। (1.50 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135487_1	4600.00 + 828.00 5428.00	30.35	3.04	06 माह	'द'
11	लखनऊ	बन्थरा	सं0मा0 रामपुर से बस्तिया तक मरम्मत कार्य। (1.05 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135489_1	3600.00 + 648.00 4248.00	23.82	2.39	06 माह	'द'
12	लखनऊ	बन्थरा	सं0मा0 पतौना पक्की सड़क से अंकिता खेड़ा तक मरम्मत कार्य। (1.60 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135491_1	5500.00 + 990.00 6490.00	36.26	3.63	06 माह	'द'
13	लखनऊ	बन्थरा	सं0मा0 नगराम गंगागंज मार्ग से बचन खेड़ा तक मरम्मत कार्य। (0.63 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135492_1	3100.00 + 558.00 3658.00	20.21	2.02	06 माह	'द'
14	लखनऊ	बन्थरा	सं0मा0 मस्तमऊ मार्ग से चिलौला शेखानापुर होते हुए बक्कास मोड़ तक मरम्मत कार्य। (0.40 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135493_1	3100.00 + 558.00 3658.00	20.20	2.02	06 माह	'द'
15	हरदोई	हरदोई	सं0मा0 मानकगंज से घोसर तक मरम्मत कार्य। (3.10 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135494_1	10400.00 + 1872.00 12272.00	68.81	5.45	08 माह	'स'
16	हरदोई	हरदोई	सं0मा0 हरदोई नीर मार्ग से कटैया तक मरम्मत कार्य। (1.10 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135495_1	3900.00 + 702.00 4602.00	25.66	2.57	06 माह	'द'
17	हरदोई	सण्डीला	सं0मा0 तेरवा से तुसौर तक मरम्मत कार्य। (0.55 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135496_1	2400.00 + 432.00 2832.00	15.58	1.56	06 माह	'द'
18	हरदोई	सण्डीला	सं0मा0 भीखपुर ऐमा मार्ग से सेकरी तक मरम्मत कार्य। (0.30 कि0मी0) 2026_RKUMP_1135497_1	1900.00 + 342.00 2242.00	9.02	0.90	06 माह	'द'

नियम एवं शर्ते–

4. ई–निविदा के साथ निविदा मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ के नाम भारतीय स्टेट बैंक, गोमती नगर लखनऊ में संचालित खाता संख्या–**30394513612,** IFSC code **SBIN0009916** में तथा धरोहर धनराशि खाता संख्या–**30394514140,** IFSC code **-SBIN0009916** में जमा कर जमा रसीद निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि

उपरोक्त खातों में निर्धारित समयावधि तक जमा करना अनिवार्य है। किसी भी कारण से निर्धारित समयावधि के उपरान्त जमा धनराशि मान्य नहीं होगी।

5. मण्डी परिषद मुख्यालय के पत्रांकः मु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/निर्देश के कम में 'द' श्रेणी को छोड़कर 'अ' 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदाओं की पारर्शिता एवं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत ठेकेदारों से Bid Capacity हेतु लोक निर्माण विभाग के standard Bidding Document (S.B.D.) में Qualification of Bidders कें section 4.6 में व्यवस्था दी गयी है जिसका विस्तृत विवरण मुख्य नियम शर्तो के बिन्दु संख्या–11 में अंकित है। Bid Capacity की गणना प्रपत्र व सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वॉछित गत पॉच वर्षो का टर्न ओवर एवं बैलेन्स शीट Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6. उक्त निविदा तालिका में अंकित पंजीकरण श्रेणी के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मे ही प्रतिभाग कर सकती है। उपरोक्त कार्य 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के नहीं होने के कारण किसी अन्य विभाग के ठेकेदार/फर्म उपरोक्त निविदाओं में प्रतिभाग नहीं कर सकते है।

उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, लखनऊ।

(प्रकाशन हेतु नहीं)
पृष्ठांकन एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव आयुक्त एवं निदेशक को आयुक्त एवं निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ पेषित।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ, हरदोई।
3. निजी सचिव, अपर निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ अपर निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ
4. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (ग्रेड–2) मण्डी परिषद, लखनऊ।
6. विधि सलाहकार, मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन–1, मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, लखनऊ।
9. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखनऊ, बन्थरा, हरोइ एवं सण्डीला।
10. सहायक अभियन्ता/संगणक/लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी,/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, निर्माण खण्ड, लखनऊ।
11. सिस्टम मैनेजर, मण्डी परिषद लखनऊ को बेवसाइट हेतु।
12. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, लखनऊ।

पत्रांकःनि0ख0का0(ई–टेण्डर)/2026– 07

दिनांकः 10/04/2026

मुख्य नियम व शर्तें–

1. वांछित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा मूल्य एवं वांछित धरोहर धनराशि का विवरण (आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट) दिनांक सहित जमा अपलोड करना होगा।
3. निविदा दरों की वैधता 90 (नब्बे) दिन होगी जो कि रू0 100 के मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर स्व हस्ताक्षर कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. श्रम विभाग में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण होना अनिवार्य है एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति टेण्डर में अपलोड करना होगा एवं अनुबन्ध गठन के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों का श्रम विभाग में अनुबन्धवार पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. ई–निविदादाता बार काउन्सिल का सदस्य नहीं होना चाहिए जिसका शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
6. शासनादेश संख्या 4435/छः–पु–14–06–50(7)/2006 दिनांक 02.11.2016 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (PWD T-4) व हैसियत प्रमाण–पत्र (PWD T-5) एवं रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर भरकर प्रारूप (PWD T-6) पर स्व घोषणा का शपथ पत्र किसी गजटेड अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण पुस्तिका के तालिका सं0–09 जिसका प्रारूप संलग्न है, के अनुसार 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर निर्माणाधीन, स्वीकृत व स्वीकृति हेतु विचाराधीन निर्माण/मरम्मत कार्यो के सम्बन्ध में सूचना भरकर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति) को परिषद पत्रांक–मु0अभि0/(1168 भाग–4)/2009–325 दिनांक 19.06.2009 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा अपलोड करते समय 02 प्रतिशत की धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी तथा अवशेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि देयकों से भुगतान के समय कटौती की जायेगी, जिसके लिये आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जायेगा।
9. उ0प्र0 में किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं होने व डिबार नहीं होने का रू0 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
10. 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत फर्म के टैक्निकल स्टाफ का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का विवरण संलग्न करना होगा।
11. परिषद पत्रांकःमु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांकः17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/ निर्देष के कम में निविदाओं की पारदर्षिता एवं अधिक प्रतिस्तर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उदद्वेष्य से पंजीकृत ठेकेदारों की Bid Capacity निर्धारण हेतु standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के section 3.6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् हैः– Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value.The available bid capacity will be calculated as under.

    Assessed Available Bid Capacity = (AxNxM-B) where

    A=Maximum Value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the @ 8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.

    N=Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited. (Period upto 6 months to be taken as half-year and more than 6 month as one year)

    M= is taken 2.0

    B=Value,at the current price level,of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the work for which bids are invited.

    Note- If the bidder participates in more then one bid,the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

    मण्डी परिषद में 'अ' 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा Bid capacity की गणना उपरोक्तानुसार लो0नि0वि0 में Standard Bidding Document दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। Bid capacity का गणना प्रपत्र एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित विगत पॉच वर्षो का टर्न ओवर Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों पर उक्त बिड कैपेसिटी की गणना की शर्त लागू नहीं हैं।
12. उक्त कार्य हेतु मण्डी परिषद में 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता/फर्म/ठेकेदार द्वारा बिड डाक्यूमेन्ट टी0–1 में अंकित SBD के Instruction to be bidder के क्लाज सं0 3.4 A(b) एवं बिड डाक्यूमेन्ट टी0–2 में क्लाज सं0 4.4 A(b) में अंकित शर्त के अनुसार निविदा तिथि से विगत 05 वर्षो में संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये गये समान प्रकृति के कार्य का निविदा लागत के एक तिहाई (1/3) लागत (अनुरक्षण लागत को छोडकर) का एक कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिड डाक्यूमेन्ट (टी0–1 एवं टी0–2) के सेक्शन में अंकित Qualification Instruction के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर रू0–100/–(सौ रूपये) के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर वाछिंत सभी सूचना अपलोड करना अनिवार्य है।
13. मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में रू0 40.00 (चालीस) लाख की क्षमता में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं0 12 में अंकित क्लाज के अनुसार कराये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही रू0 40.00 (चालीस) लाख की सीमा तक का कार्य आवंटित किया जायेगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर मात्र रू0 20.00 (बीस) लाख की सीमा तक ही कार्य

आवंटित किया जायेगा। मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में रू0 20.00 (बीस) लाख की क्षमता में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा न करने पर भी रू0 20.00 लाख से अधिक लागत का कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

14. कोशागार द्वारा जारी रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाकर स्व हस्ताक्षर युक्त अपलोड करना अनिवार्य है।

15. आई0टी0बी0 के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका निकट सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डी लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निर्माण स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा जो कि कार्यदायी खण्ड व उससे सम्बन्धित जोन कार्यालय में कार्यरत हो।

16. बिड डाक्यूमेन्टस के सेक्शन 3 में अंकित Qualification Information से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूपों पर सूचनायें/शपथ पत्र रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराते हुए अपलोड करना अनिवार्य है।

17. आई0टी0बी0 के अनुसार ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/राजपत्रित अधिकारी, जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष से कम अवधि पूर्ण की हो, को बिना शासन की अनुमति के ई–निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

18. अपराधिक रिकार्ड वाले फर्म/ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। अपराधिक रिकार्ड न होने का रू0 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

19. उपरोक्त अभिलेख/शपथ पत्र ई–निविदा की वेबसाइट पर टेण्डर डालते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।

20. एक या समस्त ई–निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ को होगा।

21. परफोरमेन्स गारन्टी शासनादेश सं0 692/23–07–2024/लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः 09 अगस्त 2024 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी एवं 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशतकम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा।

22. अनुबन्ध गठन करते समय कार्य की निविदा आगणित लागत का 10 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष में अवशेष जमानत धनराशि भारतीय स्टेट बैक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ (आई0एफ0एस0सी0 कोड– SBIN0009916 जो उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ के खाता संख्या– 30394514140) में जमा करना अनिवार्य होगा।

23. जी0एस0टी0 को छोड़कर शेष अन्य समस्त करों की कटौती नियमानुसार ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।

24. वेबसाईट WWW.etender.up.nic.in से डाउनलोड किये गये फार्म/बी0ओ0क्यू0 में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा फार्म/बी0ओ0क्यू0 की मूलप्रति ही मान्य होगी।

25. तकनीकी एवं फाइनेशियल बिड खुलने के बाद निविदादाताओं को ई–टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ –पत्र, आनलॉइन जमा किये गये निविदा शुल्क एवं जमा धरोहर धनराशि की रसीद एवं अन्य अभिलेखों इत्यादि को मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य हैं एवं न जमा करने की स्थिति पर शासनादेश सं0 3070/78–2–2018–42 आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ,उ0प्र0 के अनुसार सम्बन्धित निविदाता फर्म के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

26. बिल ऑफ क्वान्टटी में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।

27. कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में औचित्यपूर्ण कारण न होने पर SBD/T-1/T-2 में अंकित शर्तो के अनुसार फर्म/ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि में वर्षा ऋतु का अतिरिक्त समय सम्मिलित है। वर्षा ऋतु के नाम से अलग से कोई समयवृद्धि देय नहीं होगी।

28. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हस्तान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।

29. मण्डी परिषद के आदेष संख्याः 1235 दिनांकः15.07.2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।

30. बिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) से ठेकेदार द्वारा स्वयं कय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सीमेन्ट एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेन्स नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनी का ही प्रयोग किया जायेगा।

31. (अ) भवन कार्यों हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार स्वयं के व्यय पर अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period) कार्य पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी। जमा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक स्थिति में पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक से एक वर्ष पश्चात जिसमें एक वर्षा ऋतु सम्मिलित हो, के पश्चात कार्य के सन्तोषजनक होने की स्थिति में अवमुक्त की जायेगी।

(ब) शासनादेश सं0 17/2024/सा0–113/23–1–2024–23–1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी 2024 लोक निर्माण अनुभाग–1, उ0प्र0, लखनऊ के कम में मा0 संचालक मण्डल की 170वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मार्गो के नव

निर्माण/पुर्ननिर्माण/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत/मण्डी के आन्तरिक मार्ग कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 05 (पॉच) वर्ष तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period), रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष चार वर्षो में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनों बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05 वर्ष पूर्ण होने पर समय–समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य संतोशजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणवद्ध तरीके से अवमुक्त की जायेगी साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज जमानत धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन/मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबेल्टी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।

32. ठेकेदार अपने खर्च पर सभी सामग्री के दैनिक परीक्षण करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ठेकेदार अपने सभी प्रयोगशाला उपकरणों एवं गुणवत्ता नियंत्रक अभियन्ता की सूची प्रस्तुत करेगा जो प्रभारी अभियन्ता के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

33. प्रथक–प्रथक कार्यो हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि प्रथक–प्रथक जमा करना अनिवार्य होगा।

34. परिषद पत्रांकः मु0अभि0ग्रेड–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–641 दिनांकः11.08.2022 के अनुपालन में अन्य विभागो PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.L में 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म भी अ' एवं 'ब' श्रेणी के कार्यो की निविदा में भाग ले सकते हैं। उनकी निविदा प्रथम न्यूनतम आने पर अनुबन्ध गठन के समय फर्म/ठेकेदार को निविदा लागत की 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करना होगी तथा विभाग में पंजीकरण हेतु तीन दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र नियमानुसार देना होगा। विभाग में पंजीकरण के उपरान्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी। निविदा की दरें एक समान होने पर मण्डी परिषद में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों को वरीयता दी जायेगी। निविदा सूचना में अंकित कार्य 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के न होने के कारण PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.L विभाग में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निविदा प्रकिया में प्रतिभाग नहीं कर सकते है।

35. निर्माण कार्य के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करने पर वांछित धनराशि की कटौती आपके देयको से की जायेगी। निर्माण कार्य के दौरान जाली/त्रिपाल इस प्रकार से लगाया जाय कि धूल/गर्दा न उड़े तथा कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री ट्रक/ट्रैक्टर आदि वाहनों से आपूर्ति कराते समय वाहनों को त्रिपाल आदि से ढक कर ही मंगवाया जायें।

36. किसी भी निविदादाता की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

37. जमा धरोहर धनराशि के सापेक्ष मोबलाइजेसन के रूप में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

38. निविदा हेतु सिस्टम फेल होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

39. निविदादाता के पास स्वयं का हॉट मिक्स प्लांट होना चाहिए अथवा हॉट मिक्स प्लान्ट स्वामी व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त लीज डीड होना चाहिए एवं उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम पर अपलोड करना आवश्यक है।

40. पृथक–पृथक कार्यो हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि एक निविदा में वाछित धनराशि से अधिक धनराशि जमा करने पर भी एकल निविदा की धरोहर धनराशि तथा निविदा मूल्य के लिये धनराशि मान्य होगी। अन्य निविदा के लिये पृथक धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

41. सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 753(1)/80–1–2017–89/2017 दिनांकः 03.05.2017,परिषद पत्रांकः मु0अभि0/ गड्ढामुक्त /2017–120 दिनांकः 03.05.2017 एवं परिषद पत्रांकः मु0अभि0/गड्ढामुक्त/ 2017–160 दिनांकः 11.05. 2017 में निर्धारित प्रकिया/व्यवस्थानुसार किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता की जांच में प्रतिकूल स्थिति पाये जाने पर ठेकेदार/निविदादाता पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा कार्य का अंतिम भुगतान, जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जांच/सत्यापन टीम के द्वारा निर्गत जांच/सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त एवं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा। यदि इस उक्त प्रकिया के कारण अन्तिम भुगतान होने में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उस स्थिति में किसी भी फर्म/ठेकेदार का कोई भी दावा मान्य नही होगा।

42. कार्यो की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा, जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।

उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, लखनऊ।

तालिका-9

शपथ-पत्र का प्रारूप

1. ठेकेदार/फर्म का नाम :-
2. फर्म की पावर ऑफ एटार्नी कर्ता का नाम :-
3. पंजीकरण संख्या :-
4. पंजीकरण श्रेणी :-
5. पंजीकरण की वैधता :- दिनांक तक
6. पंजीकरण में निर्धारित कार्यक्षमता :-
7. पंजीकरण में आवंटित निर्माण खण्ड :-
8. (अ) निर्माणाधीन कार्यों का विवरण :-

क्र0	निर्माण खण्ड	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कराये गये कार्य की लागत	अवशेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7

(ब) स्वीकृति हेतु विचाराधीन/स्वीकृत निविदाओं का विवरण, जिनका अनुबन्ध गठित नहीं हुआ है।

क्र0	निर्माण खण्ड	कार्य का नाम	निविदा की लागत
1	2	3	4

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं/मेरी फर्म मण्डी परिषद द्वारा बनाई गई पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत उक्त निविदा क्रय करने हेतु विधिवत पात्र हूँ और पंजीकरण प्रमाण-पत्र में निर्धारित क्षमता रखता हूँ। मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सही और अच्छी प्रकार से दिये गये हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं हैं। निविदा फार्म क्रय करने से निविदा स्वीकृत होने तक यदि यह पाया जाता है कि मैंने कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये हैं तो उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं।

दिनांक-

स्थान-

आवेदक/फर्म का नाम/हस्ताक्षर

(पूरा पता सहित)

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Kumar Srivastava
Date: 2026.04.16 14:38:25 IST
Location: Uttar Pradesh-UP